कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(5)लेखा / प्रमुवसं / पार्ट–III / 2009–10 / दिनांकः .03.2017

आदेश

प्रायः देखने में आया है कि विभिन्न अनियमिताओं / अदेय / अधिक भुगतानों एवं भण्डारों के भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाऐ गऐ सामानों / राजकीय हानि आदि की वसूली के संबंध में महालेखाकार कार्यालय / निदेशक निरीक्षण विभाग तथा विभागीय ऑडिट जांच दलों द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित ऑडिट आक्षेपानुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचारी से समय पर वसूली संबंधी कार्यवाही नहीं की जाती है फलस्वरूप अधिकारी / कर्मचारी राज्य सेवा से निवृत हो जाते है एवं ऑडिट आक्षेपों का निस्तारण नहीं हो पाता है।

वन विभाग की ऑडिट समिति वर्ष 2016–17 की द्वितीय बैठक दिनांक 28.02.2017 में इस बिन्दू को गंभीरता से लिया जाकर ऑडिट आक्षेपों में अंकित राशि की शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिये गऐ है।

अतः समस्त कार्यालय अध्यक्षों / आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके कार्यालय के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवदेनों / निदेशालय निरीक्षण विभाग तथा विभागीय ऑडिट जांच दलों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित वसूली के संबंध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 171 व 172 के अनुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचारी से नियमानुसार राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।

एस०/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ ( )लेखा / प्रमुवसं / 2016–17 / 10687-727 दिनांकः– 14.3.17

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समस्त)।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समस्त)।
3. मुख्य वन संरक्षक (समस्त) / कृ. समस्त उप वन संरक्षकों को प्रति पृष्ठांकित करावें।
4. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. परिपत्र / रक्षित पत्रावली लेखा शाखा।

14/3/2017
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर